समाहरणालय दरभंगा

(जिला आपदा प्रबंधन)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में संभावित बाढ़ वर्ष 2020 के दौरान बाढ़ से प्रभावित/विस्थापितों हेतु चलाए जाने वाले राहत शिविरों में आवासित व्यक्तियों के बीच कोविड–19 संक्रमण को देखते हुए सेनेटाईजर एवं मास्क आदि सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु न्यूतनम दर निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार जिले में राहत शिविरों में आवासित व्यक्तियों के बीच कोविड–19 संक्रमण को देखते हुए सेनेटाईजर एवं मास्क आदि सामग्री उपलब्ध कराने हेतु न्यूनतम दर निर्धारण के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता से सील बन्द निविदा प्राप्त करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा मुहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है, जो अलग–अलग लिफाफे में होगी।

निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी दरभंगा के पदनाम से मो0 25,000/– (पचीस हजार) रूपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता दिनांक 10.07.2020 के अपराहन 1:00 बजे तक जिला आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा के कार्यालय में निविदा दाखिल कर सकते है। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराहन 3:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

क्रय किये जाने वाले राहत सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0	सामग्री का नाम	साईज/गुणवत्ता	दर सभी कर सहित
1	2	3	4
1	सेनेटाईजर	500 ML	प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
		100 ML	प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
		50 ML	प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
2	मास्क	कपड़े वाला (डबल लेयर)	प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
3	थर्मल स्कैनर	अच्छे ब्राण्ड का	प्रति पीस/प्रति सैकड़ा
4	Sodium Hypochlorite	अच्छे ब्राण्ड का	प्रति लीटर/प्रति सौ लीटर

(I) तकनीकी निविदा की आवश्यक शर्तें:–

1 निविदा के साथ 3 वर्षो का आयकर रिटर्न, प्रमाण–पत्र GST निबंधन प्रमाण पत्र, PAN नम्बर, बैंक ड्राफ्ट एवं कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2 निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।

3 निविदाकर्त्ता को सुरक्षित राशि के रूप में मो0 25,000 (पचीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट नाजिर रसीद जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पदनाम से तकनीकी निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

4 निविदादाता को ट्रेंड लाईसेंस/बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। (ट्रेड लाईसेंस एक वर्ष तक ही मान्य है)

5 निविदादाता को Drug/केमिस्ट लाईसेंस की प्रति संलग्न करनी होगी।

(I I) वित्तीय निविदा:–

1 सील बंद लिफाफा में सामग्री का दर सभी कर सहित स्पष्ट करना आवश्यक होगा।

(I I I) निविदा की अन्य शर्ते:–

1 निविदा के रूप में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग अलग मुहर बन्द लिफाफे में जमा करना होगा।

2 तकनीकी निविदा में योग्य पाये जाने वाले निविदाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

3 निविदा निर्धारण के समय निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष नमूने के साथ उपस्थित रहेंगे।

4 सामग्री की आपूर्ति हेतु परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

5 सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगा।

6 वित्तीय निविदा लिफाफे में प्रति ईकाइ/प्रति सैकड़ा दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।

7 आपूर्ति की गई सामाग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु विपत्र से नियमानुसार सभी कर समायोजन के साथ भुगतान की जायेगी।

8 निविदा दाताओं में से स्वीकृत निविदा दाता को एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति आदेश के निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या/साईज/गुणवत्ता/मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्ति निश्चित रूप से कर देना होगा।

9 अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

10 संभावित बाढ़ की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर ही सामग्रियों की आपूर्ति का आदेश दिया जायेगा तथा आपूर्ति ली जायेगी।

11 निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

12 स्वीकृत निविदा दाताओं को छोड़कर शेष सभी निविदा दाताओं की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

13 जिन सामग्रियों का दर Government-e-Market (GEM) द्वारा निर्धारित है उक्त सामग्रियों को स्वीकृत निविदादाता से GEM portal पर अंकित दर से अधिक दर पर क्रय नहीं की जायगी।

14 सभी वांछित कागजात स्व0-हस्ताक्षरित होना चाहिए।

विशेष जानकारी के लिए जिला पदाधिकारी, दरभंगा के वेवसाईट www.darbhanga.bih.nic.in से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

ह0

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांकः– /जि0आ0प्र0, लहेरियासराय, दिनांक

प्रतिलिपिः– सभी अंचल अधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– नजारत उप समाहर्त्ता, दरभंगा को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि निविदा की विस्तृत जानकारी जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित एवं उन्हे निदेश दिया जाता है कि इस निविदा को दरभंगा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से दो दैनिक प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही प्रकाशित निविदा का पेपर कटिंग जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, दरभंगा को ससमय उपलब्ध करावें।

प्रतिलिपिः– सहायक वाणिज्य कर आयुक्त/जिला लेखा पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– नगर आयुक्त, नगर निगम, दरभंगा को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांकः– 847 /जि0आ0प्र0, लहेरियासराय, दिनांक 29.06.20

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने-अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार-प्रसार कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।